न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/26 **दायरा दिनांक : 31.01.2023**

उनवान

1. गोटूलाल आत्मज स्व० भैरूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील अटरू, जिला बारां
2. बलवन्त पुत्र स्व० मदनलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बपावर खुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा
3. छीतरलाल पुत्र स्व० श्री हीरालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बपावर खुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ललित किशोर नागर पैरोकार सरकार की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.12.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 04/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बोरदा (नया) पटवार क्षेत्र तुलसां, तहसील बारां की आराजी खाता संख्या 1 की खसरा नं. 620 रकबा 4.68 हेक्टर गैर मुमकिन आबादी लगानी 4.68 रूपये स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2022 से वाद वादी सारहीन होने से खारिज की गई जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाने में त्रुटि की है। ग्राम बोरदा, तहसील बारां जिला बारां में खसरा नम्बर 359 की 20 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित थी। उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में देवा वल्द नाथू हिस्सा 1/2, शोराम, भैरू, मोती, हीरालाल पिसरान बलदेव हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज थी। उपरोक्त व्यक्ति उपरोक्त भूमि पर बहेसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज रहे है। सम्वत् 2038 के लगभग हुये सेटलमेन्ट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 620 रकबा 4.68 हेक्टर कायम हुआ है। वर्तमान सेटलमेन्ट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 620 रकबा 4.68 हेक्टर कायम हुआ है। उपरोक्त भूमि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही सर्वथा गैर कानूनी रूप से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सिवाय चक गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दी गई। भू प्रबन्ध विभाग को उपरोक्त कृषि भूमि की किस्म सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। उक्त इन्द्राजात सर्वथा गलत त्रुटि पूर्ण मनमाना एवं अधिकार विहीन होने से बेअसर है। वादीगण अपीलान्टस् पूर्व खातेदारान के वारिस होने से उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण अपीलान्ट्स उपरोक्त भूमि पर काबिज रहे हैं। हक घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत करने की कानून में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गलत रूप से दावा वादीगण अपीलान्टस् खारिज फरमाने में त्रुटि की है। सहखातेदार देवा पुत्र नाथू लाल ला ओलाद फोत हुआ है उसके वारिस सगे भाई होने से हरदेव व बलदेव हुये। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्टस् मृतक देवा हरदेव, बलदेव के वारिस है। इस कारण अपीलान्टस उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत शहादत को एप्रीशियेट किये बिना ही निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित कर दावा वादीगण अपीलान्टस् खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त फरमाया जावे। वादीगण अपीलान्टस् को ग्राम बोरदा, तहसील बारां, जिला बारां की खसरा नम्बर 620 की 4.68 हेक्टर भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने का एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से रेस्पो० का नाम विलोपित किये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का नया खसरा नं. 620 रकबा 4.68 हेक्टर कायम हुआ। सेटलमेंट विभाग ने सक्षम न्यायालय के निर्णय के बिना ही उक्त वादग्रस्त भूमि को सरकार के खाते दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 में भूमि हमारे खाते दर्ज है। बाद में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग को केवल प्रीवियस एन्ट्री को ही रिपीट करना चाहिए किसी भी प्रकार की नई एन्ट्री का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा को वाद की कोई समय सीमा नहीं बनायी गयी। वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाये और हमारा दावा डिक्री किया जाये। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244, आर.आर.टी. 2020 (1) पेज 524, आर.आर.टी. 2018–19 (सप्ली.) पेज 553 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरत की।

रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में अंकित किया कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण के अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बोरदा (नया) पटवार क्षेत्र तुलसां, तहसील बारां की आराजी खाता संख्या 1 की खसरा नं. 620 रकबा 4.68 हेक्टर गैर मुमकिन आबादी स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 620 के सेटलमेन्ट सम्वत 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 359, 387 मिन, 286 मिन 361

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

मिन, 360 से संयुक्त रूप से रकबा 4.68 हेक्टर वर्तमान खसरा नम्बर 620 का कायम किया गया है। खसरा नम्बर 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा सम्वत 2028–31 में खातेदार के रूप में देवा वल्द नाथू 1/2 शोराम, भेरू, मोती, हीरालाल पुत्रगण बलदेव 1/2 हिस्सा के रूप में खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें से देवाजी की मृत्यु होने से उनके कोई वारिस नहीं होने से उनका हिस्सा संयुक्त रूप से सभी के रहा जिसमें भैरूलाल जी का भी देहान्त हो गया उसके दो पुत्र मोतीलाल पुत्र गोटूलाल है इसी प्रकार हीरालाल जी का स्वर्गवास हो गया है। उसका पुत्र छीतरलाल मौजूद है।

मोतीलाल का भी देहान्त हो गया है। उसके पुत्र मदनलाल का भी देहान्त हो गया है। मदनलाल का पुत्र बलवंत है शोराम पूर्व में ही अपने परिवार में हरदेव के यहां गोद चला गया था, इसके कारण उसका इस आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी के एक मात्र खातेदार एवं स्वामी वादीगण ही है। इनके अलावा अन्य कोई वैधानिक वारिस व कायम मुकामान नहीं है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा को नया खसरा नम्बर 620 कायम करते वक्त और खसरा नम्बर 360, 361 मिन, 286 मिन, 387 मिन के साथ संयुक्त रूप से कायम करते हुये रकबा 4.68 हेक्टर दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा नम्बर 359 का पृथक से खसरा नम्बर कायम कर वादीगण के पूर्वजों के नाम अंकित किया जाना चाहिए था इस प्रकार सेटलमेन्ट को रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी गलत रूप से खातेदारी परिवर्तित कर गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज किया गया है। जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। इसलिए वादीगण अपने खसरा नम्बर 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा की दुरूस्ती कराते हुए खसरा नम्बर 620 में से रकबा 3.09 हे० पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। विकल्प के रूप में अगर उक्त आराजी को आबादी में दर्ज रखा जाता है तो बाजार दर से मुआवजा राशि प्रतिवादी राजस्थान सरकार से वादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है।

बहस अभिभाषक वादी व पत्रावली एवं रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2022 को यह निर्णय किया कि प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा, सम्वत 2062–65 के अनुसार गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत 2058–61 में भी गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2050–53 में निवास या वास तथा गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत 2014–17 में उप कृषक भैरूलाल, मोतीलाल, हीरालाल दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2018–21 में देवा पुत्र नाथु हिस्सा 1/2 शोराम, भैरूलाल, मोतीलाल, हीरालाल पुत्र बलदेव हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत 2046–49 में निवास या वास गैर मुमकिन आबादी दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2038–57 में सिवायचक एवं गैर मुमकिन आबादी दर्ज होना पाया जाता है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोरदा सम्वत 2038–67 में खसरा नम्बर 359, 357, 286, 361 एवं 360 का हाल खसरा नम्बर 620 रकबा 4.68 हेक्टर दर्ज है परन्तु खसरा नम्बर 359, 357, 286, 361 का कितना कितना रकबा था अंकित नहीं है वादी द्वारा सम्वत 2018–21 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें वादी के पूर्वजों का नाम अंकित है परन्तु वादी द्वारा 2022 से आगे की जमाबन्दी पेश नहीं की गई है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में भूमि किसके

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

खातेदारी में दर्ज है वादी द्वारा अपने वाद पत्र में गैर मुमकिन आबादी दर्ज होना बताया है जमाबन्दी प्रर्दश 3 में खसरा नम्बर 49, 50, 51, 620 गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में आबादी बसी हुई है वादी द्वारा विवादित आराजी से सम्बधित कब्जे काश्त एवं उक्त आराजी पर किसी प्रकार की आबादी बसी हुई नहीं होना साबित करने में विफल रहे हैं, गैर मुमकिन आबादी की भूमि को वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता है वादी द्वारा सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त कराने का दावा इतने वर्ष बाद प्रस्तुत करने का क्या कारण रहा यह साबित नहीं किया वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

विशेष कथन – पत्रावली में सलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2016–21 में अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम अंकित है। परन्तु इसके बाद की जमाबन्दी पेश नहीं की गयी है। इससे यह पता नहीं चलता है कि सम्वत् 2021 के पश्चात वादग्रस्त खसरा नम्बर किसके नाम था। सलंग्न नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोरदा सम्वत 2038–57 में खसरा नम्बर 359, 357, 286, 361 एवं 360 का हाल खसरा नम्बर 620 रकबा 4.68 हेक्टर दर्ज है परन्तु खसरा नम्बर 359, 357, 286, 361 का कितना कितना रकबा था यह अंकित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा सेटलमेन्ट से तुरन्त पहले की जमाबन्दी की नकल भी पेश नहीं की गयी है। सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 359 की किस्म बारानी उत्तम है। जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 620 की किस्म गैर मुमकिन आबादी है। जिससे यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर पर आबादी बसी हुई है एवं वादी के कब्जे काश्त में नहीं है। गैर मुमकिन आबादी की भूमि को दर्ज किया जाना उचित नहीं है, अतः वादी का वाद खारिज योग्य है। मेरी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बोरदा (नया) पटवार क्षेत्र तुलसां, तहसील बारां की आराजी खाता. सं0 1 की खसरा नम्बर 620 रकबा 4.68 हेक्टर गैर मुमकिन आबादी स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 620 के सेटलमेंट संवत 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 359, 387 मिन, 286 मिन, 361 मिन, 360 से संयुक्त रूप से रकबा 4.68 हेक्टर वर्तमान खसरा नम्बर 620 का कायम किया गया है। खसरा नम्बर 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा संवत 2028–31 में खातेदार के रूप में देवा वल्द नाथू 1/2 शोराम, भैरु, मोती, हीरालाल, पुत्रगण बलदेव 1/2 हिस्सा के रूप में खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा को नया खसरा नम्बर 620 कायम करते वक्त और खसरा नम्बर 360, 361 मिन, 286 मिन, 387 मिन के साथ संयुक्त रूप से कायम करते हुए रकबा 4.68 हेक्टर दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा नम्बर 359 का पृथक से खसरा नम्बर कायम कर वादीगण के पूर्वजों के नाम अंकित किया जाना चाहिए था परंतु सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से खातेदारी परिवर्तित कर गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज कर दिया है। जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए वादीगण अपने खसरा नम्बर 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा की दुरुस्ती कराते हुए खसरा नम्बर 620 में से रकबा 3.09 हेक्टर पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। विकल्प के रूप में अगर उक्त आराज़ी को आबादी में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज रखा जाता है, तो बाजार दर से मुआवजा राशि प्रतिवादी राजस्थान सरकार से वादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2022 से वादी अपीलांट का वाद खारिज कर अपने निर्णय में कथन किया है कि नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोरदा संवत् 2038–57 में खसरा नम्बर 359, 357, 286, 361 एवं 360 का हाल खसरा नम्बर 620 रकबा 4.68 हेक्टर दर्ज है परंतु खसरा नम्बर 359, 357, 286, 361 का कितना कितना रकबा था अंकित नहीं है। वादी द्वारा संवत् 2018–21 की जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसमें वादी के पूर्वजों का नाम अंकित है परंतु वादी द्वारा 2022 से आगे की जमाबंदी पेश नहीं की गई है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में भूमि किसके खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में गैर मुमकिन आबादी दर्ज होना बताया है। जमाबंदी प्रदर्श 3 में खसरा नम्बर 49, 50, 51, 620 गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में आबादी बसी हुई है। वादी द्वारा विवादित आराजी से सम्बन्धित कब्जे काश्त एवं उक्त आराजी पर किसी प्रकार की आबादी बसी हुई नहीं होना साबित करने में विफल रहे हैं। गैर मुमकिन आबादी की भूमि को वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा सेटलमेंट की गलती दुरुस्त कराने का दावा इतने वर्ष बाद प्रस्तुत करने का क्या कारण रहा यह नहीं साबित नहीं किया । वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में अंकित किये तथ्यों की पुष्टि वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत किये राजस्व रिकॉर्ड से होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2018–21 में खसरा नम्बर 359 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा अपीलांट के पूर्वजों का नाम अंकित है परंतु इसके बाद की जमाबंदी पेश नहीं की गई है। संलग्न नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोरदा संवत 2038–57 में खसरा नम्बर 359, 387, 286, 361 एवं 360 का हाल खसरा नम्बर 620 रकबा 4.68 हेक्टर दर्ज है परंतु खसरा नम्बर 359, 387, 286, 361, 360 का कितना कितना रकबा था यह अंकित नहीं है। इससे यह साबित नहीं हो पाता कि खसरा नम्बर 359 का कितना रकबा वर्तमान खसरा नम्बर 620 में शामिल किया गया। अपीलांट द्वारा सेटलमेंट से तुरन्त पहले की जमाबंदी भी पेश नहीं की गई है। सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 359 की किस्म बारानी उत्तम है। जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 620 की किस्म गैर मुमकिन आबादी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर पर आबादी बसी हुई एवं वादी के कब्जे काश्त में नहीं है। गैर मुमकिन आबादी की भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों को साबित करने में अपीलांट विफल रहे हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2022 में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/12/2024

(दीप्ति चन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. गोटूलाल आत्मज स्व० भेरूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील अटरू, जिला बारां
2. बलवन्त पुत्र स्व० मदनलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बपावर खुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा
3. छीतरलाल पुत्र स्व० श्री हीरालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बपावर खुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... **अपीलांट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/26**
मु.द.नं० **04/2017**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **13.12.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19 माह 11** सन् **2024**

श्री **नरेन्द्र कुमार गुप्ता** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ललित किशोर नागर** पैरोकार सरकार की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **17 माह 12 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)